भैंस खटाल संचालित कर सार्वजनिक स्थान में पसार रहा था गंदगी, भिलाई निगम ने 60000 रुपए का लगाया जुर्माना, गंदगी सफाई करने 3 दिनों की दी मोहलत

भिलाई नगर/ भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही निगम के द्वारा निरंतर की जा रही है। आज जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत बाबा दीप सिंह नगर तालाब के समीप राजन नामक भैंस खटाल संचालक के द्वारा तालाब में गोबर डंप कर रखा गया था, जिससे आसपास में गंदगी फैल रही थी, संचालक को बार-बार समझाई दी जा चुकी थी उसके बाद भी इनके द्वारा समझाइश को अनदेखा किया गया जिसके चलते आज निगम की टीम ने निरीक्षण के दौरान भैंस खटास संचालक राजन को 60000 रुपए अर्थदंड आरोपित करते हुए गंदगी को 3 दिनों के भीतर हटाने कहा गया है। कार्यवाही के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा मौके पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी स्थानों पर निगम के द्वारा साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है परंतु जो लोग गंदगी पसार रहे हैं और निगम के समझाइश तथा अपील का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम भिलाई पुनः अपील करता है कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं , सूखा एवं गीला कचरा पृथक-पृथक ही प्रदान करें , प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में निगम प्रशासन की सहायता करें।